रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, शनिवार, मई 18, 1968/वैशाख 28, 1890
No. 174] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 18, 1968/VAISAKHA 28, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi the 18th May 1968

S.O. 1758.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Ministry of Commerce, S.O. No. 1844 dated the 18th June, 1966, namely:—

In the said Order, after condition (iii) of the direction contained in paragraph (a), the following condition shall be inserted, namely:—

"(iv) that in making an Order relating to any of the matters specified in clause (j), the State Goyernment or, as the case may be, the administrator of a Union Territory shall authorise only an officer of Government".

[No. 26(17)-CS.II/66.]
B. N. BANERJI, Spl. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई 1968

एस० ओ० 1759.—अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य

मन्त्रालय के एस० ओ० सं० 1844 दिनांक 18 जून, 1966 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त आदेश के पैरा (क) में दिये गये निदेश की शर्त (3) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(4) कि धारा (ब) में उल्लिखित किसी भी मामले से सम्बन्धित आदेश देते समय राज्य सरकार अथवा जैसी दशा हो, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक सरकार के किसी अधिकारी को ही प्राधिकृत करेगा।"

[सं० 26 (1)-सी० एस०-2/66.]

बी० एन० बनर्जी, विशेष सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968